<u>संख्याः-31/2025/सा0-165/38-9099(99)/35/2022</u>

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ 01 जुलाई, 2025**

विषयः-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, लखनऊ को सांसद निधि योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत कार्य आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, लखनऊ को शासनादेश संख्या-1755(1)/38-9-2009 दिनांक 30.09.2009 में निहित प्रावधानों के कारण सांसद निधि योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्य आवंटित होने में कठिनाई होने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से संबंधित शासनादेश संख्या-28/2017/320/अड़तीस-9-17-05(रिट)/2014 दिनांक 04.07.2017 एवं शासन के पत्र संख्या-620(1)/अड़तीस-9-17-19(एल0सी0)/2017 दिनांक 21.09.2017 के प्रावधान मात्र विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना पर ही प्रभावी है।

भवदीय

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

<u>संख्याः-31/2025/सा0-165/38-9099(99)/35/2022 तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-01/MD/upcd/2025-26 दिनांक 01.06.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।